

मध्यप्रदेश शासन
औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग
:: आदेश ::

भोपाल दिनांक 05/10/2023

क्र. एफ IPI/5/0054/2023/ए-ग्यारह:: राज्य शासन एतद् द्वारा कतिपय औद्योगिक इकाईयों द्वारा उद्योग संवर्धन नीतियों में प्रावधानित सुविधा/ सहायता के परिप्रेक्ष्य में प्रस्तुत आवेदन पर राज्य स्तरीय साधिकार समिति (एसएलईसी) द्वारा लिये गये निर्णय के विरुद्ध प्रस्तुत अपील अभ्यावेदन के संबंध में (5 अपील प्रकरणों) पर निम्नानुसार निर्णय लिया गया-

1. मेसर्स किंगस्पान जिंदल प्रा.लि., (पूर्व में जिंदल मेकटैक प्रा.लि.), औद्योगिक क्षेत्र पीथमपुर, सेक्टर-3, जिला धार -

“इकाई द्वारा 3 वर्ष से कम अवधि के विलंब से आवेदन प्रस्तुत करने के कारण अपील स्वीकार की जाती है तथा विलंब अवधि को शिथिल किया जाता है।”

2. व्ही.ई. कमर्शियल व्हीकल्स लि. (इंजीनियरिंग कम्पोनेंट डिवीजन- विस्तार), औद्योगिक क्षेत्र क्र.3, ए.बी. रोड़, जिला देवास (अतिरिक्त 1 वर्ष का निवेश जोड़े जाने हेतु आवेदन) -

“इकाई द्वारा 3 वर्ष से कम अवधि (कोविड-19 महामारी की अवधि कम करने पर) के विलंब से आवेदन प्रस्तुत करने के कारण अपील स्वीकार की जाती है तथा विलंब अवधि को शिथिल किया जाता है।”

3. व्ही.ई. कमर्शियल व्हीकल्स लि. (ट्रक एवं बस यूनिट- विस्तार), औद्योगिक क्षेत्र क्र.1, पीथमपुर, जिला धार (अतिरिक्त 1 वर्ष का निवेश जोड़े जाने हेतु आवेदन) -

“इकाई द्वारा 3 वर्ष से कम अवधि (कोविड-19 महामारी की अवधि कम करने पर) के विलंब से आवेदन प्रस्तुत करने के कारण अपील स्वीकार की जाती है तथा विलंब अवधि को शिथिल किया जाता है।”

4. व्ही.ई. कमर्शियल व्हीकल्स लि. (इंजीनियरिंग कम्पोनेंट डिवीजन- द्वितीय विस्तार), औद्योगिक क्षेत्र क्र.3, ए.बी. रोड़, जिला देवास


“इकाई द्वारा 3 वर्ष से कम अवधि (कोविड-19 महामारी की अवधि कम करने पर) के विलंब से आवेदन प्रस्तुत करने के कारण अपील स्वीकार की जाती है तथा विलंब अवधि को शिथिल किया जाता है।”

5. ओरिएंट पैक-एन-पिंट (विस्तार), औद्योगिक क्षेत्र सांवेर रोड़, जिला इंदौर

“इकाई द्वारा 3 वर्ष से कम अवधि (कोविड-19 महामारी की अवधि कम करने पर) के विलंब से आवेदन प्रस्तुत करने के कारण अपील स्वीकार की जाती है तथा विलंब अवधि को शिथिल किया जाता है।”

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम

से तथा आदेशानुसार



(संजय कुमार शुक्ल)

प्रमुख सचिव


मध्यप्रदेश शासन

औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग

निरंतर

प्रतिलिपि:-

1. उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन, मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल।
 2. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग/वाणिज्यिक कर विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल।
 3. आयुक्त, इन्दौर/उज्जैन संभाग इन्दौर/उज्जैन ।
 4. कलेक्टर, जिला - इन्दौर/धार/देवास ।
 5. प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश इण्डस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लि. भोपाल।
 6. आथोराइज्ड सिग्नेटरी, डायरेक्टर,
 - i. मेसर्स किंगस्पान जिंदल प्रा.लि., (पूर्व में जिंदल मेकटैक प्रा.लि.), प्लाट क्रमांक 129-135, सेक्टर - 3, इण्डस्ट्रियल ऐरिया, पीथमपुर, जिला धार।
 - ii. मेसर्स व्ही.ई. कमर्शियल व्हीकल्स लि. (इंजीनियरिंग कम्पोनेंट डिवीजन- विस्तार), प्लाट क्रमांक 78 एवं 86, औ. क्षेत्र क्रमांक 3, ए.बी. रोड, जिला देवास - 455001 (म.प्र.)
 - iii. मेसर्स व्ही.ई. कमर्शियल व्हीकल्स लि. (ट्रक एवं बस यूनिट- विस्तार), प्लाट क्रमांक 102, औ. क्षेत्र क्रमांक 1, पीथमपुर, जिला धार - 454774 (म.प्र.)
 - iv. मेसर्स व्ही.ई. कमर्शियल व्हीकल्स लि. (इंजीनियरिंग कम्पोनेंट डिवीजन- द्वितीय विस्तार), प्लाट क्रमांक 78 एवं 86, औ. क्षेत्र क्रमांक 3, ए.बी. रोड, जिला देवास - 455001 (म.प्र.)
 - v. मेसर्स ओरिएंट पैक-एन-पिंट (विस्तार), प्लाट क्रमांक 10-13, आर आर इण्डस्ट्रियल ऐरिया, सेनवर रोड, जिला इन्दौर।
- की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।



प्रमुख सचिव
मध्यप्रदेश शासन

औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग